

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोके/याचिकासंख्या 1118/रघुनाथराम बैन्दा/ 2021

दिनांक:-18-02-2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/इतिहास/स्थानान्तरण /2020-21/1-653 दिनांक:-04.01.2021 के तहत रघुनाथराम बैन्दा व्याख्याता इतिहास का स्थानान्तरण राउमावि, चुई-नागौर से राउमावि, खेडूली-नागौर किया गया। राउमावि, खेडूली नागौर में व्याख्याता इतिहास का पद रिक्त नहीं होने के कारण रघुनाथराम बैन्दा ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1118/2021 रघुनाथराम बैन्दा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 21.01.2021 में विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 व कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 09.01.2021 को खारिज कर आवश्यकता होने पर विभाग को नवीन स्थानान्तरण आदेश करने के निर्देश दिये हैं।

माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/इतिहास/स्थानान्तरण/2020-21 दिनांक-02.02.2021 द्वारा श्री रघुनाथराम बैन्दा व्या. इतिहास का समायोजन शारदा राउमावि, SANJU-नागौर में किया जा चुका है। जहाँ इनके द्वारा दिनांक:- 03.02.2021 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर